डिस्कलेमर

परामर्श पत्र संख्या 24/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जीएसईसी-बीएएस/ जीएच/ अहमदाबाद/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 24/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 07 दिसम्बर, 2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इसके कारण विश्व भर के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की स्थिति होने के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक है। प्राधिकरण ने स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर **कोविड-19 महामारी** के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण का मत इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के परामर्श पत्र संख्या 24/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा),
ऐरा प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in ; prabhjot.marwah@govcontractor.in
प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ;secrtary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**27/12/2021**
हितधारकों की जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**07/01/2021**

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क किया जा सकता है।

अध्याय 8 :   हितधारक परामर्श

2.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 7 में निहित प्रस्ताव हितधारकों के परामर्श के लिए एतद् द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (संलग्नक-I और II) लगाए गए हैं। संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप से प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

2.2 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 7 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 27 दिसम्बर, 2021 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003
दूरभाष : 011-24695044-47, फैक्स : 011-24695048

ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in; prabhjot.marwah@govcontractor.in
secrtary@aera.gov.in :director-ps@aera.gov.in

(अध्यक्ष)